महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या–4284 /चि0–3–16–जी–179/2005

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषयः पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के पुरूष एवं महिला चिकित्साधिकारियों को प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में पी0जी0 डिप्लोमा के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 07.04.2016 के अनुपालन में सत्र 2016–17 में प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–4124/चि–3–16–जी–179/2005, दिनांक 19.12.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 07.04.2016 के अनुपालन में सत्र 2016–17 के लिए पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामाकंन की कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया है।

2– उक्त अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक दिनांक 27.12.2016 में विचार विमर्श के उपरान्त पी0जी0 डिप्लोमा सत्र 2016–17 में प्रवेश के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2124/चि–3–16–जी–179/2005, दिनांक 19.12.2016 के अनुक्रम में निम्न प्राविधान/व्यवस्था की जाती है:–

1 शासनादेश दिनांक 23.05.2011 द्वारा अनुमोदित पी0जी0 डिप्लोमा के प्राविधान के अन्तर्गत उक्त प्रवेश कार्यहित एवं जनहित में अंतिम प्रवेश होगा।

2 सम्बन्धित महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को यह निदेश दिया जाता है कि प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 31.01.2017 एवं पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की तिथि 01.02.2017 होगी।

3 भविष्य में शासनादेश दिनांक 23.05.2011 के प्राविधानानुसार पी0जी0 डिप्लोमा की काउंसलिंग नही की जायेगी तथा समस्त उच्च प्रशिक्षण, मेडिकल कांउसिल आफ इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन रेगूलेशन 2000 एवं रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के परामर्शानुरूप किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–4284(1)/चि0–3–16–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष सचिव (श्री अरिन्दम भट्टाचार्या) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला चिकित्सालय उ0प्र0।
10. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, एम0सी0आई0, नई दिल्ली।
11. गार्ड फाईल/प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(जे0एल0यादव)
अनु सचिव